

2023/469

प्रशासन गाँव के संग अग्रपत्र 202

श्रीमान जी

रिपोर्ट पटवारी हल्का बागस्थितावास  
मुलाबिक रामरुख रिपोर्ट रामरुख ग्राम पृथ्वीपुरा में  
खाना सं. 283 में प्राची का नाम रामूराम पुत्र गोपीराम  
दत्त रिपोर्ट है। जबकि अन्य दस्तावेज यथा आधार आई व रिपोर्ट  
वरपर उ आधार पर प्राची का नाम रामेश्वर पुत्र गोपीराम दत्त है।  
अतः प्राची का नाम शुद्ध किया जाना उचित है।

*[Signature]*  
30/05/23

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक वृत *[Signature]*

श्रीमान जी

रिपोर्ट पटवारी एवं संलग्न दस्तावेजों के अनुसार रिपोर्ट  
दत्त मुलाबिक पृथ्वीपुरा के खाना सं. 283 के रामूराम पुत्र गोपीराम के  
स्थान पर रामेश्वर पुत्र गोपीराम किया जाना उचित है।

LR-34  
30/05/23

*[Signature]*  
30/05/23  
रिपोर्ट

रिपोर्ट तहसीलदार, श्रीमाधोपुर

श्रीमान जी

मुलाबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक वृत के ग्राम  
पृथ्वीपुरा के खाना सं. 283 में खातेदार का नाम रामूराम पुत्र  
गोपीराम अशुद्ध है। मुलाबिक पटवारी रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों  
के आधार पर खातेदार का नाम रामेश्वर पुत्र गोपीराम दस्ता  
किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ.)

आदेश  
मुलाबिक पटवारी वृ.क.वि. रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के  
तहसीलदार श्री भास्करा के अनुसार पृथ्वीपुरा के खाना सं. 283 में दत्त  
रामूराम पुत्र गोपीराम के स्थान पर रामेश्वर पुत्र गोपीराम दत्त करके भी  
स्वीकृति दी जाती है।

*[Signature]*  
प्रशासन गाँव के संग अग्रपत्र-2023  
उपखण्ड अधिकारी- श्रीमाधोपुर  
पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर

तहसीलदार श्रीमाधोपुर के गैलरि लेख है। निपमाधोपुर (वि.वि. में) का मत है।